# POLICE COMMISSIONERATE

# GAUTAM BUDH NAGAR

## सराहनीयकार्य/प्रेसविज्ञप्ति – दिनांक 21-10-2024

**1.थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा 03 शातिर टप्पेबाज गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध चाकू व चोरी के 03 मोबाइल फोन व 02 बैग बरामद।**

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक 21.10.2024 को थाना सेक्टर-39 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व बीट पुलिसिंग की सहायता से 03 शातिर टप्पेबाज 1.बदरे आलम पुत्र फरमान 2.पवन पुत्र ओमप्रकाश 3.कृष्ण कुमार पुत्र ओमप्रकाश को बोटैनिकल गार्डन बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 02 अवैध चाकू व टप्पेबाजी की घटना से संबंधित चोरी के 03 मोबाइल फोन व 02 बैग बरामद हुए हैं।

**पूछताछ का विवरण--** पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगो को बहकाकर उनसे उनका मोबाइल पिन व यूपीआई पिन की जानकारी कर उनके सामान को बैग में रखवाकर बैग चेंज कर लेते हैं। यदि कोई मामला उलझता है, तो डराने के लिए चाकू का उपयोग कर लेते हैं।

**अभियुक्तों का विवरण--**

1. बदरे आलम पुत्र फरमान निवासी आला हजरत मस्जिद के पास राम पार्क गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।
2. पवन पुत्र ओमप्रकाश निवासी गांव तूमोला थाना कोसीकलां जिला मथुरा वर्तमान निवासी श्याम पार्क मैट्रो के पास, उम्र करीब 23 वर्ष।
3. कृष्ण कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी गांव तूमोला थाना कोसीकलां जिला मथुरा उम्र 24 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास का विवरण--**

➢ अभियुक्त कृष्ण कुमार

1. मु0अ0सं0 620/2024 धारा 420/120बी भादवि व 66 डी आई.टी. एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2. मु0अ0सं0 985/2022 धारा 15(3),15(2) इण्डियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट व 23,23,18,6(ए),5(1)(ए),4,3बी,3ए प्री-नेटल डाइग्नॉस्टिक टेक्नीक्स (रेग्यूलेशन एन्ड प्रीवे. ऑफ मीसयूज़) एक्ट 1994 थाना कोतवाली नगर हापुड़, जनपद हापुड़।

- अभियुक्त पवन

1. मु0अ0सं0 620/2024 धारा 420/120बी भादवि व 66 डी आई.टी. एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 89/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोसीकला, मथुरा।

- अभियुक्त बदरे आलम

1. मु0अ0सं0 620/2024 धारा 420/120बी भादवि व 66 डी आई.टी. एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-39 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी के 03 मोबाइल
2. 02 अवैध चाकू
3. चोरी के 02 बैग

## 2. थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा घर में आया बनकर चोरी करने वाली 01 महिला अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये माल के नकद 58500 रूपये मय लेडीज पर्स व अन्य सामान बरामद ।

**घटना/कार्यवाही का विवरण-- थाना सेक्टर-20** पुलिस द्वारा दिनांक 02.10.2024 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 324/24 धारा 306/61(2)/317(2) बीएनएस से सम्बंधित घर में चोरी करने वाली महिला चोर जूली पुत्री दिनेश सिंह उम्र 24 वर्ष को **दिनांक 21.10.2024** को फिल्मसिटी फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे सड़क के किनारे से **गिरफ्तार** किया गया है। जिसके कब्जे से घटना में चोरी गये सामान के 500 रुपये के 117 नोट कुल 58500 रूपये व एक बैग व एक पर्स व वादी मुकदमा का एक आधार कार्ड बरामद किया गया है।

## गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण--

(1) जूली पुत्री दिनेश सिंह निवासी ग्राम रामपुर थाना अवतार नगर जिला सारण बिहार हाल पता बद्रीनाथ अपार्टमेन्ट द्वित्तीय फ्लोर गली नं0-8 किशनगढ महरौली दिल्ली उम्र 24 वर्ष।

## बरामदगी का विवरण--

1. माल मुकदमाती 500 रूपये के 117 नोट कुल 58500 रुपये
2. एक बैग
3. एक पर्स
4. एक आधार कार्ड वादी मुकदमा